न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 11/2017

प्रार्थी:–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण:–**
सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी सुमेरपुर		मृतक गला पुत्र रूगाजी जाति राजपूत निवासी गुडिया तहसील सुमेरपुर के का0मु0 1. मृत पुनमसिंह पुत्र गलाजी के का0मु0 1.1. अर्जुनसिंह पुत्र पूनमसिंह 1.2. उगमसिंह पुत्र पूनमसिंह 1.3. वचनी पत्नी पूनमसिंह 2. मृतक थानसिंह पुत्र गलाजी के का0मु0 2.1 केसरसिंह पुत्र थानसिंह 2.2 हडमतसिंह पुत्र थानसिंह 2.3 चैनसिंह पुत्र थानसिंह 2.4 श्यामसिंह पुत्र थानसिंह 2.5 लासकंवर पत्नी थानसिंह 3. रेवतसिंह पुत्र गलाजी तमाम जातिगण राजपूत निवासीगण गुडिया तहसील सुमेरपुर जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति –

1. सरकारी पैरोकार
2. श्री श्यामसिंह सोलंकी, विद्धान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 से 3

–: निर्णय :–

दिनांक:– 26.02.2018

तहसीलदार सुमेरपुर ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी बाली की अध्यक्षता में भू आवंटन एवं नियमन कमेटी द्वारा गत दिनांक 23.09.1978 को ग्राम गुडिया तहसील सुमेरपुर के गत खसरा नम्बर 5मी. रकबा 5 बीघा भूमि अप्रार्थी गला पुत्र रूगाजी जाति राजपूत निवासी गुडिया को आवंटित हुई थी तथा जिसके वर्तमान खसरा नमबर 57 क्षैत्रफल 0.01

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

हैक्टेयर किस्म गै0मु0 मकान एवं खसरा नम्बर 58 क्षैत्रफल 0.59 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम बने है। आवंटन के पश्चात उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में गला पुत्र रूगा के नाम दर्ज हुई तथा रूगा फौत होने के पश्चात उनके विधिक वारिशान पूनमसिंह, थानसिंह व रेवतसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। पूनमसिंह एवं थानसिंह फौत हो चुके है, जिनके वारिशान के नाम जरिये फोतेदगी नामान्तरकरण के राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। आवंटित भूमि पर वक्त आवंटन से आवंटी एवं उनके पश्चात उनके वारिशान का कब्जा काश्त नहीं रहा है। यह आवंटन शर्तो की अवहेलना है। इस कारण अप्रार्थी गला पुत्र रूगा के नाम किया गया आवंटन निरस्त योग्य है। अतः आवंटन निरस्त किया जावे एवं भूमि राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज करने का आदेश पारित करावें

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि आवंटन नियमन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विधिवत आवंटन किया है। वक्त आवंटन से आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा काश्त था तथा आवंटी फौत होने पर उनके विधिक वारिशान का कब्जा काश्त है। प्रार्थी ने मात्र बहादुरसिंह द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र के आधार पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो अप्रार्थीगण से अदावत रखता है, इसके अतिरिक्त आवंटन निरस्त करने का कोई आधार ही नहीं है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के अनुसार आवंटन नियमन सलाहकार समिति की अनुशंषा पर उपखण्ड अधिकारी बाली द्वारा गला पुत्र रूगा जाति राजपूत निवासी गुडीया को ग्राम गुडीया के खसरा नम्बर 5 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा भूमि का सशुल्क आवंटन किया गया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ बहादुरसिंह पुत्र लालसिंह जाति राजपूत निवासी गुडीया द्वारा तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 18.05.2010 के अनुसार ग्राम गुडीया के खसरा नम्बर 57, 58 रकबा क्रमशः 0.01, 0.59 हैक्टेयर कुल 0.60 हैक्टेयर भूमि पर आवंटी द्वारा आज दिनांक तक कब्जा प्राप्त नहीं करना अंकित किया तथा न ही कृषि कार्य किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ खसरा गिरदावरी सम्वत् 2065 से 2068 की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें आवंटित भूमि पर किसी प्रकार की काश्त दर्ज नहीं है। राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (3) के अनुसार आवंटिति को आवंटन के प्रथम वर्ष में भूमि के कम से कम 50 प्रतिशत भाग को जोतना पड़ेगा और शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में जोतना आज्ञापक है। हस्तगत प्रकरण में आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर न तो कब्जा प्राप्त किया गया तथा न ही काश्त की गई है। यह स्थिति राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (3) का उल्लंघन है, जिसके कारण अप्रार्थी गला पुत्र रूगा जाति राजपूत निवासी गुडीया को ग्राम गुडीया के खसरा नम्बर 5 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा भूमि का सशुल्क आवंटन दिनांक 23.09.1978 को कायम रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

जिला कलेक्टर
बाली (राज.)

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी गला पुत्र रूगा जाति राजपूत निवासी गुडीया को ग्राम गुडीया के खसरा नम्बर 5 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा भूमि का सशुल्क आवंटन दिनांक 23.09.1978 को अपास्त किया जाता है एवं तहसीलदार सुमेरपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त भूमि को राजस्व रेकर्ड में सिवायचक दर्ज कर भूमि को कब्जे राज लेवे। इस निर्णय की प्रतिलिपी तहसीलदार सुमेरपुर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)